

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित्त मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 219/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

शरद पण्ड्या कार्यालय अंदर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड,
बांसवाड़ा, राज.

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29/12/2025



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329125384526146 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5258456650 दिनांक 05.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/219/25/1259-60 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/2025/1878 दिनांक 26.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में ग्राम कलड़वास के खाता संख्या 392 से संबंधित सूचना चाही गई थी। उक्त वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी शरद पण्ड्या द्वारा दिनांक 30.10.2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त आरटीआई की सूचना की मुझे प्रार्थी को आवश्यकता नहीं है इसलिए इन आवेदनों को निरस्त माना जाये। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त सूचना की मुझे आवश्यकता नहीं होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा के कार्यालय में दिनांक 30.10.2025 को सूचना की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलार्थी भी उक्त सूचना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २९-१२-२०२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(समित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर